

						<p>28.6.2021 प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि मा0 आयोग द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03.08.2021 के उपरान्त आरोपित अर्धदण्ड रूपये 5000.00 की वसूली समाप्त करते हुए वाद निस्तारित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा करने हेतु पुनः पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जमा का प्रमाण- पत्र होने ही राक्षस महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा।</p>	
<p>02 वाणिज्य कर विभाग, मुसादाबाद जोन, मुसादाबाद</p>	<p>श्री नमोन्द्र प्रसाद, एडीरनल कर्मिश्नर ग्रेड-2</p>	<p>23-06-2014</p>	<p>रु 25,000/-</p>	<p>शून्य</p>	<p>शून्य</p>	<p>श्री अतुल बंसल द्वारा मार्गी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग सचनरु ने दिनांक-23.06.2014 को तत्कालीन हिन्दी कर्मिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुसादाबाद पर बादी को सूचना उपलब्ध न करने के सम्बन्ध में रु0-25000.00 का अर्धदण्ड आदेश दिनांक-23.06.2014 द्वारा लगाया गया है, जिसके क्रम में कार्यालय-हिन्दी कर्मिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर मुसादाबाद के पत्र संख्या- 2902 दिनांक-13.03.2020 द्वारा तत्कालीन हिन्दी कर्मिश्नर के वेतन से उक्त अर्धदण्ड धनराशि रु0-25000.00 की कटौती हेतु हिन्दी कर्मि0 (प्रशा0) वाणिज्य कर, गोण्डा को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में हिन्दी कर्मिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुसादाबाद के पत्र संख्या- 1969 दिनांक 05-02-2021 द्वारा हिन्दी कर्मि0 (प्रशा0) वाणिज्य कर, गोण्डा को अनुस्मार प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में एडीरनल कर्मिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर अयोध्या जोन अयोध्या द्वारा तत्कालीन हिन्दी कर्मिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुसादाबाद को अपने पत्र संख्या- 1739 दिनांक 19-02-2021 द्वारा उपरोक्त अर्धदण्ड धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतिरिक्त कर्मिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर गोण्डा द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 562 दिनांक 16-02-2022 द्वारा, अकाल कराया गया है कि श्री नमोन्द्र प्रसाद एडीरनल कर्मिश्नर ग्रेड-2(अधीन) गोण्डा द्वारा उक्त अर्धदण्ड रू. 25000.00 को चालान संख्या BS000046 दिनांक 05/02/2022 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा गोण्डा में जमा कर दिया गया है, जिसकी सूचना पत्रक से प्रेषित की जा रही है।</p>	<p>शून्य</p>

03	वाणिज्य कर मुम्बईबाद जेन, मुम्बईबाद	श्री रत्ना, असि0कनिविदाक 0 एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 विजनाईर	19-06-2018	₹0 250000.00	अधिसूचित जना कार्ये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को इस स्तर से पर संख्या- 800 दिनांक 07-03- 2020 प्रेषित किया गया था । लिस्के सम्बन्ध में दृश्या पर प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ना0 आयोग के समक्ष प्रतिवेदन किया गया है । लिस्के सूचना खिलाधिकारी, विजनाईर की सेवा में श्री प्रेषित की गयी है ।	शून्य	अधिसूचित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी विजनाईर के पर संख्या- 114 दिनांक 06-02-2020 को इस कार्यालय को दिनांक 15-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है । सम्बन्धित अधिकारी द्वारा माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन इस कार्यालय के अनुसार पर संख्या- 477 दिनांक 30-01- 2021 के क्रम में प्रेषित किया गया है । पुनः पुनर्विचार प्रार्थना कार्यालय पर सं0 214 दिनांक 19-02-2021 को प्रेषित किये जाने की सूचना असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 विजनाईर के पर सं0 50 दिनांक 01-07-2021 को प्रेषित की गयी है ।	शून्य
04	वाणिज्य कर मुम्बईबाद जेन, मुम्बईबाद	श्री कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-1 विजनाईर	16-07-2018	₹0 250000.00	अधिसूचित जना कार्ये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के डि0कनिवि0 को इस स्तर से पर सं0 769 दि0 28-02-2020, पुनः पर सं0 216 दि0 18- 03-2020 प्रेषित किया गया है ।	शून्य	अधिसूचित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी विजनाईर के पर संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 को इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है । अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पर संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है । पुनः असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 विजनाईर के पर सं0 147 दिनांक 25-06-2021 द्वारा प्रत्यावेदन अनुसार पर प्रेषित किया गया है ।	शून्य

05	वाणिज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर(क0व0)/ अधिकारी, वा0क0 गाजियाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	पुनर्वाचिका प्रा0पत्र मा0 उ0प्रा0राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 01.11.2018 में दाखिल किया गया है। आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा0 उ0प्रा0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
06	वाणिज्य कर	श्री जे0पी0सिंह, से0नि0 डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वा0क0 गाजियाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	मा0 उ0प्रा0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा0 उ0प्रा0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
07	वाणिज्य कर	श्री इन्द्रजीत भट्ठौरिया, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0)/जनसूचना अधिकारी, वा0क0 मेरठ	02.01.2018	25000.00	00	00	कार्यवाही चल रही है।	कार्यवाही चल रही है।
08	वाणिज्य कर	श्री यू0सी0शर्मा, वर्तमान में ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, मुरादाबाद	23.10.2018 (उ0प्रा0 सूचना आयोग का पत्रांक- 10979 दि0 11.12.2018 से प्राप्त)	25000.00	शून्य	नहीं	दण्ड में निहित धनराशि जमा करायें जाने हेतु आहरण वितरण अधिकारी, मुरादाबाद को पत्र संख्या- 4407 दिनांक 01.01.2019 व अनुस्मारक पत्र संख्या-6135 दिनांक 06.03.19 व पत्र संख्या- 125 दिनांक 24.04.19 व पत्र संख्या- 702 दिनांक 25.06.19, प0सं0-2868 दि0 29.11.2019 एवं प0सं0- 140 दि0 18.06.20	दण्ड प्राप्त अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.2019 में अर्पित दायर की गयी है।

09	वाणिज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि०कॉमि ० (प्रशा०) वा०क० झांसी	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कॉमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-वांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कॉमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ द्वारा भी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कॉमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- वांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कॉमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं०-1/2482सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त उ०प्र० लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक- 104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लम्बित है।
----	------------	---	------------	----------	----	----	---	---

(कमलेश कुमारी)

डिप्टी कॉमिश्नर (जनसूचना)/सहायक जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।